राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(36)एमई / ग्रुप–1 / 1982 जयपुर, दिनांक: 2 AUG 2017

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 666 / 2013 डॉ. अनिल सांघवी बनाम सुदर्शन सेठी एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2017 की पालना में कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के द्वारा पारित आदेश क्रमांक प. 1(244)कार्मिक / क–3 / जांच / 1990 पार्ट दिनांक 28.3.2017 के अनुसार डॉ. अनिल सांघवी को समस्त पारिणामिक परिलाभ देने के लिए कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.5.2014 को अधिक्रमण करते हुए समसंख्यक दण्डादेश दिनांक 29.7.2013 की निरन्तरता में दिनांक 08.12.1989 से 21.5.2008 तक की अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत कर, नियमित किये जाने एवं इस अवधि को पेंशन, पदोन्नति व काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य मानी जाने एवं दिनांक 22.5.2008 से नियमानुसार देय वेतन भत्तों सहित समस्त परिलाभ दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसके क्रम में वित्त विभाग की अ.ई.डी. संख्या 101702453 दिनांक 09.06.2017 के द्वारा छाया पद सृजित किये गये है।

कार्मिक विभाग के उपर्युक्त वर्णित आदेश की अनुपालना में एवं वित्त विभाग द्वारा सृजित छाया पदों पर डॉ. अनिल सांघवी को पदोन्नति लाभ दिये जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ए के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.7.2017 को आयोजित की गई। समिति की अनुशंषा अनुसार डॉ. सांघवी को उसके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों की रिक्तियों एवं पदों प वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	चिकित्सक शिक्षक का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1.	डॉ. अनिल सांघवी	वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी	सहायक आचार्य पैथोलोजी	1993–94	01.04.1993
2.	डॉ. अनिल सांघवी	सहायक आचार्य पैथोलोजी	सह आचार्य पैथोलोजी	2003–04	01.04.2003

डॉ. सांघवी को उक्त पदोन्नति उपरान्त डीएसीपी स्कीम के तहत आगामी पदोन्नति लाभ प्रदान किये जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम–5 के तहत गठित डीएसीपी स्क्रिनिंग कमेटी की अनुशंषा पर डॉ. सांघवी को डायनामिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) स्कीम के अन्तर्गत निम्नानुसार पदोन्नति व वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड–पे स्वीकृत की जाती है :–

आचार्य पद पर पदोन्नति

चिकित्सक शिक्षक का नाम	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति तिथि	डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति वर्ष
डॉ. अनिल सांघवी	सह आचार्य	आचार्य	01.04.2011	2011–12

क्रमशः– 2

2/8/17

वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड–पे

नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत देय ग्रेड–पे	डीएसीपी स्कीम के तहत वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड–पे देय तिथि
डॉ. अनिल सांघवी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य पद की ग्रेड–पे रू 10,000/–	01.04.2013

आज्ञा से,

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशानुसार डॉ. अनिल सांघवी को नियमानुसार परिलाभ दिये जाकर इस विभाग को सूचित करे। साथ ही वाद प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करे कि निर्णय की पालना रिपोर्ट से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर को अवगत करावे।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक।
7. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(शम्भूदयाल प्रजापति)
अनुभागाधिकारी